राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

प्रकरण संख्याः– 270/प्रा0पत्र/2025 दायरा दिनांक :–01.09.2025

GCMS ID–2025/386

बउनवान

1. मधु आयु 32 वर्ष पुत्री शोकरण पत्नी श्री रंगलाल मीणा निवासी भोरण तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
2. रामकुंवार आयु 65 वर्ष आ० श्री मवाना जाति मीणा नियासी भौजगढ़ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
3. रामलाल आयु 67 वर्ष आ० श्री भवाना जाति मीणा निवासी भोजगढ़ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
4. संतोष आयु 52 वर्ष पुत्री श्री भवाना पत्नी श्री रामकुंवार जाति मीणा निवासी गोपीपुरा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
5. संतोष बाई आयु 59 वर्षपत्नी श्री शोकरण जाति मीणा निवासी भोजगढ़ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
6. हंसराज आयु 38 वर्ष आ० श्री शोकरण जाति मीणा निवासी भोजगढ़ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
7. हीरालाल आयु 30 वर्ष आ० श्री शांकरण जाति मीणा निवासी मौजगड तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज

प्रार्थीगण

बनाम

1. रामकुंवार आ० श्री गंगाराम जाति मीणा निवासी भोजगढ़ तह0 हिण्डोली जिला बून्दी
2. रामराज आ० श्री गंगाराम जाति मीणा निवासी भोजगढ़ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
3. ओमराज आ० श्री गंगाराम जाति मीणा निवासी भोजगढ़ तह0 हिण्डोली जिला बून्दी
4. दुर्गालाल आ० श्री फूलडा जाति मीणा निवासी भोजगढ़ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
5. सत्यनारायण आ० श्री फूलडा जाति मीणा निवासी भोजगढ़ तह0 हिण्डोली जिला बून्दी
6. रमेश आ० श्री लादूराम जाति मीणा निवासी भोजगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
7. राजू आ० श्री बीरमल जाति मीणा निवासी भोजगढ़ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
8. सुरेश आ० श्री बीरमल जाति मीणा निवासी भोजगढ़ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
9. पप्पू आ० श्री जगन्नाथ जाति मीणा निवासी भोजगढ़ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
10. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज.

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :– अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

वकील प्रार्थी :– श्री विजय माहेश्वरी।

वकील अप्रार्थी :– जबाव बन्द।

आदेश

दिनांक :–27.02.2026

प्रार्थना पत्र में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भोजगढ़ पटवार क्षेत्र खीण्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी मे खाता स. 257 की कृषि भूमि ख.स. 2484/2794 रकबा 2.7519

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

हेक्टेयर विरिथत है। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2078–79 मे उक्त भूमिया प्रार्थीगण की खातेदारी मे दर्ज है। उक्त वर्णित भूमिया प्रार्थीगण के स्वामित्व व अधिपत्य की भूमिया है जिन पर प्रार्थीगण काश्त करते चले आ रहे है एंव वर्तमान में भी उक्त भूमियो पर प्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि के चारो ओर भूमि ख.स. 2484 राजकीय सिवाय चक विरिथत है जिस पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थीगण आऐ दिन प्रार्थीगण के स्वामित्व व अधिपत्य की भूमि की सीमा के संबंध में विवाद करते है और प्रार्थीगण की उक्त भूमि पर हो रही मेडबन्दी को हटा देते है एंव प्रार्थीगण द्वारा उक्त बात का उलाहना अप्रार्थीगण को देने पर हमेशा मौके पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मौके पर भूमि की सीमा के संबंध में कभी भी तनाव उत्पन्न हो सकता है, इस कारण प्रार्थीगण के स्वामित्व व अधिपत्य की चरण स. 1 में वर्णित भूमि की पत्थरगढी किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। प्रार्थीगण ने अभी अगस्त 2025 मे अपने स्वामित्व व अधिपत्य की भूमि था. स. 2484/2794 की पत्थरगढी किऐ जाने हेतु ऑनलाईन आवेदन किया किन्तु आज दिन तक प्रार्थीगण के आवेदन पर प्रार्थीगण की भूमि का सीमाज्ञान नहीं किया गया है, इस कारण प्रार्थीगण न्यायालय श्रीमान के समक्ष यह प्रार्थना पत्र पेश कर रहे है। न्यायालय श्रीमान के आदेशानुसार प्रार्थीगण पत्थरगढ़ी की खर्चा राशि वहन . करने को तैयार है। अप्रार्थी स. 10 भूमिधारी होने एंव आवश्यक पक्षकार होने से उन्हे पक्षकार बनाया गया है। न्यायालय श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र के श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क व तलबाने पर पेश है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम भोजगढ़ पटवार क्षेत्र खीण्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी मे विरिथत खाता स. 257 की कृषि भूमि ख.स. 2484/2794 रकबा 2.7519 हेक्टेयर की पत्थरगढी किऐ जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी प्रस्तुत होने पर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 को पर्याप्त अवसर दिए जाने पर भी जबाव पेश नहीं करने से जबाव बन्द किए जाने के आदेश दिए गए। अप्रार्थी संख्या 10 सरकार ने नियमानुसार राशि जमा कर आदेश पारित करने में कोई आपत्ति नहीं होना आदेशिका पर अंकित किया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में प्रावधान निहित है कि किन्ही सीमाओं से सम्बन्धित किसी विवाद के मामले में लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर, जहॉ तक संभव हो वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर ऐसे विवाद निपटायेगा और यह संभव न हो अथना ऐसे नक्शे उपलब्ध न हो तो वास्तविक कब्जे के आधार पर निपटायेगा। भू–प्रबन्धन कार्य समाप्त होने पर ऐसे विवाद कलक्टर द्वारा निपटाये जाऐंगे। राज्य सरकार ने अधि.सं. एफ. 4 (64) रे. बी. ग्रुप/62 दिनांक 12.06.1963 के द्वारा ये शक्तियॉ एस0डी0ओ0 को प्रत्यायोजित कर दी है।

अभिभाषक प्रार्थीगण को सुना गया। बहस वकील प्रार्थीगण मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र के अनुसार रही।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, वकील प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत पेश किया। वादग्रस्त आराजी मुताबिक नकल, जमाबंदी संवत् 2076–79 वाके ग्राम भोजगढ पटवार मण्डल खीण्या तहसील हिण्डोली की खतौनी संख्या 257 के अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है अर्थात् प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार है। कोई भी रिकार्डेड खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी होता है। पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र में किसी पक्षकार के हितों का निर्धारण नहीं किया जाना है। पत्थरगढी द्वारा केवल विवादित भूमि की सीमाओं को तय किया जाता है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, हिण्डोली को निर्देश है कि आराजी खाता संख्या 257 के खसरा संख्या 2484/2794 रकबा 2.7519 हैक्टेयर वाके ग्राम भोजगढ पटवार मण्डल खीण्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी जो कि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजीयात की प्रार्थीगण से नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा करवाकर प्रार्थीगण व आराजी के पडौसी खातेदारान को सूचित करते हुए उनकी मौजूदगी में विवादित भूमि बाबत किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने की स्थिति में व उक्त आराजी में फसल मौजूद नहीं होने की स्थिति में मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर एवं कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुए पत्थरगढ़ी करवाये। पालनार्थ तहसीलदार, हिण्डोली को तहरीर जारी हो एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/02/2026

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446